रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2016/माघ 7, 1937
No. 223] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2016/ MAGHA 7 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2016

का.आ. 252(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

पामेड वन्यजीव अभयारण्य जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है और 442.230 वर्ग किलोमिटर के क्षेत्र में फैला हुआ है तथा वनस्पति एवं जीव जंतु के विभिन्न प्रजातियों के समृद्ध प्राकृतिक वास के लिए जाना जाता है, इसमें वायसन, चीता, नीलगाय, साँभर, कोटारी बनैला सुअर, जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली, मोर, लंगूर, लघु पुच्छ वानर, चीतल, रीछ के साथ ऊष्ण कटिबंधीय आर्द्र मिश्रित पतझड़ी वन, चीड सहित या रहित मिश्रित वन, शुष्क सदाबहार वन, जलचर वनस्पति भी सम्मिलित हैं। अभयारण्य इन्दरावती व्याघ्र रिजर्व के लिए प्राकृतिक आवास के विस्तार की भी व्यवस्था करता है।

और, पामेड वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में पामेड वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पामेड वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(**1) पारिस्थितिक संवेदी जोन उत्तरी अक्षांश 18° 26' 04" से 18° 11' 31" और 80° 43' 57" से 81° 03' 57" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है और यह अभयारण्य के पश्चिमी दिशा के हिस्से को छोड़ते हुए जिसकी सीमा तेलंगाना राज्य के साथ मिलती है, पामेड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर के विस्तार के साथ 62.73 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 7 ग्रामों की सूची प्रमुख बिंदुओं के निर्देशांकों के साथ उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पामेड वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक उपाबंध II में दिए गए हैं ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र सीमा के ब्यौरे और उसके अक्षांश और देशांतर के साथ उपाबंध III के रूप में संलग्न है ।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1)** राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में अनुबंधों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार की जाएगी।

(2) उक्त योजना का राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनु रूप तैयार किया जाएगा ।

(4) आंचलिक महायोजना, उसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारणों को सम्मिलित करने के लिए सभी संबंधित राज्य विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) छत्तीसगढ़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना में जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो तब तक अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना के सुधार और अधिक दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल होने वाले क्रियाकलाप इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिकी अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जा सके ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 11, 17, 23, 28 और सं. 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल कुटीर जैसे टेन्ट, काष्ट गृह ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा तथा मजबूत करना ;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं भी हैं ।

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रतीत होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में नवगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व की बफर आंचलिक प्रबंधन योजना के अनुसार पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल-स्रोत -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना, आंचलिक महायोजना का भाग होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग, के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और सैरगाहों के नए संनिर्माण पामेड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक कि.मी. के भीतर पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन संबद्ध पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के लिए अनुज्ञात होंगे अन्यथा नहीं ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, वास्तु शिल्पीय कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान करनी होगी और अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सारण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) औद्योगिक इर्काइयां.- (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग के सिवाय अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण के नए उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माश की वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रतिषिद्ध होंगी अन्यथा नहीं ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत

		सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना और उनका विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किन्ही परिसंकटमय पदार्थों के अंतर्गत कीटनाशी और कीटनाशक का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन का भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा । परंतु यह और कि विद्यमान आरा मीलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी समाप्ति अवधि पर नहीं किया जाएगा ।
		विनियमित क्रियाकलाप
(10)	प्लास्टिक के कैरी बैग, लैमिलेटों और टेट्रापैकों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित। प्लास्टिक की वस्तुओं, लैमिलेटों और टेट्रापैकों की निर्माण सर्वदा विनियमित और मानीटर किया जाएगा ।
(11)	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु स्थानीय निवासियों लोगों को आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, करने की अनुज्ञा होगी ; (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुज्ञा से ही न्यूनतम पर रखा जाएगा; (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होगा ।

(13)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना का अनुसरण किया जाएगा ।
(14)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(15)	विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(i) विद्यमान सिरोपरि वैधुत केबल आंचलिक महायोजना के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विद्युतरुद्ध की जांएगी । भविष्य में, भूमिगत केबल बिछाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा ।
(16)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(18)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(19)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनः चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और कीचड़ ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का पालन किया जाएगा ।
(22)	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो में देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं को अनुज्ञात किया जाएगा।
(24)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

(25)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	कृषि प्रणालियों में भारी परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप :	
(27)	स्थानीय समुदायों द्वारा किए जा रहे कृषि और बागबानी व्यवसायों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(29)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(30)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(31)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति.- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) प्रखंड आयुक्त, जगदलपुर - अध्यक्ष ;

(ख) कलक्टर, जिला बीजापुर– सदस्य ;

(ग) उप निदेशक, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, बीजापुर- सदस्य;

(घ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, बीजापुर - सदस्य;

(ङ) अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर – सदस्य ;

(च) अधीक्षण इंजीनियर, जन स्वास्थ्य इंजीनियरी, जगदलपुर – सदस्य ;

(छ) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ – सदस्य ;

(ज) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि– सदस्य ;

(झ) नगर और ग्राम्य योजना विभाग– सदस्य ;

(ञ) छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि– सदस्य ;

(ट) मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव और परियोजना निदेशक इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, जगदलपुर) – सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उपाबंध IV में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/152/2015-ईएसजेड/आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पामेड वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	अभयारण्य/ एन. पी. नाम	ग्राम नाम	अक्षांश- दशमलव डिग्री	देशांतर- दशमलव डिग्री	अक्षांश- डी.एम.एस.	देशांतर- डी.एम.एस.
1	पामेड वन्यजीव अभयारण्य	भाटीगुडा	18.3693	80.9572	18°22°9.516	80°57'25.8084
2	पामेड वन्यजीव अभयारण्य	कमलापुर	18.3892	80.8632	18°23°21.1812	80°51'47.4516
3	पामेड वन्यजीव अभयारण्य	कोटापाल्ले	18.2079	80.7796	18°12'28.4904	80°46'46.668
4	पामेड वन्यजीव अभयारण्य	मरुदबाका	18.4019	80.8695	18°24'6.9984	80°52'10.254
5	पामेड वन्यजीव अभयारण्य	नम्बी	18.401	80.7763	18°24'3.6432	80°46'34.5504
6	पामेड वन्यजीव अभयारण्य	नेलाकाकेर	18.4082	80.8513	18°24'29.3472	80°51'4.8564
7	पामेड वन्यजीव अभयारण्य	रेखापल्ली	18.3727	80.907	18°22°21.7056	80°54'25.344

उपाबंध-II

पामेड वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक अभयारण्य निर्देशांक

क्र.सं.	निर्देश बिंदु सं.	अक्षांश-दशमलव डिग्री	देशांतर- दशमलव डिग्री	अक्षांश-(डी.एम.एस.)	देशांतर- (डी.एम.एस.)
1	एस1	18.3901	80.7893	18°23°24.2304	80°47'21.5772
2	एस2	18.3803	80.861	18°22°49.0044	80°51'39.456
3	एस3	18.3623	80.9026	18°21°44.1612	80°54'9.3924
4	एस4	18.3464	80.9853	18°20'47.0688	80°59'7.098
5	एस5	18.3009	81.0108	18°18°3.1752	81°0'38.9412
6	एस6	18.2508	80.9056	18°15'2.8656	80°54'20.0196
7	एस7	18.228	80.8657	18°13'40.7712	80°51'56.6316
8	एस8	18.2402	80.791	18°14'24.7776	80°47'27.7512
9	एस9	18.2901	80.7618	18°17'24.3852	80°45'42.588
10	एस10	18.3505	80.739	18°21°1.7028	80°44'20.2488

पारिस्थितिक संवेदी जोन निर्देशांक

क्र.सं.	निर्देश बिंदु सं.	अक्षांश-दशमलव डिग्री	देशांतर- दशमलव डिग्री	अक्षांश-(डी.एम.एस.)	देशांतर- (डी.एम.एस.)
1	ई1	18.4108	80.7738	18°24'38.9844	80°46'25.7088
2	ई2	18.4031	80.8827	18°24'10.9872	80°52'57.7596
3	ई3	18.3706	80.9439	18°22°14.232	80°56'37.9176
4	ई4	18.3485	81.0469	18°20'54.5316	81°2'48.8868
5	ई5	18.2886	81.0734	18°17'19.1364	81°4'24.132
6	ई6	18.2724	80.9751	18°16'20.6112	80°58'30.288
7	ई7	18.2769	80.9227	18°16'36.8004	80°55'21.612
8	ई8	18.2035	80.9047	18°12'12.4956	80°54'17.0604
9	ई9	18.1948	80.8688	18°11'41.1468	80°52'7.6692
10	ई10	18.2037	80.8259	18°12'13.2876	80°49'33.0636
11	ई11	18.1932	80.7403	18°11'35.4084	80°44'25.1016

उपाबंध-III

पामेड वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का अक्षांश, देशांतर और जी.पी.एस. निर्देशांक के साथ मानचित्र

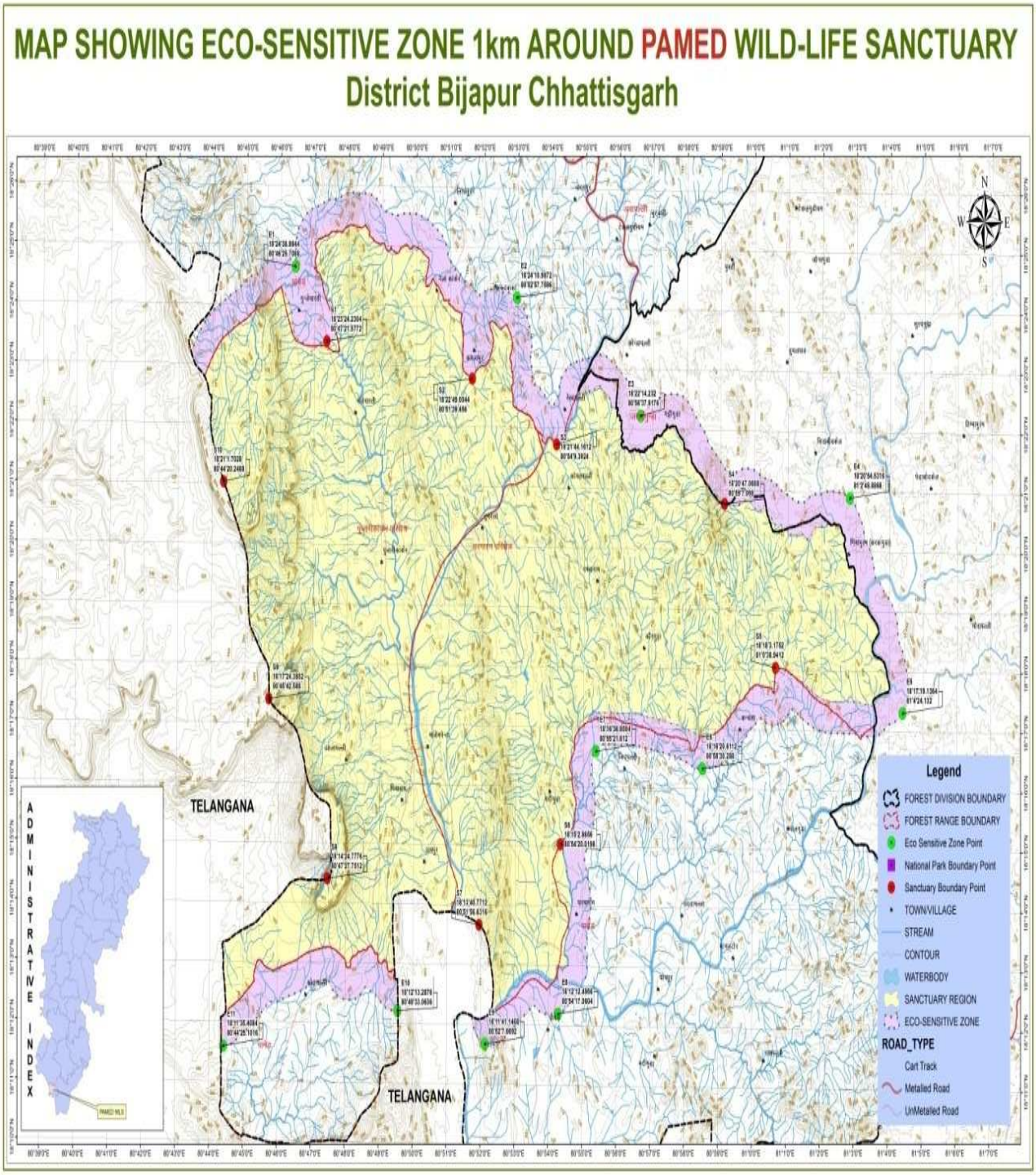

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18 January, 2016

S. O. 252(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it at the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Pamed Wildlife Sanctuary situated in District Bizapur, Chhattisgarh and spread over an area of 442.230 Sq. km. is known for its rich habitat of varieties of flora and fauna including Baison, Leopard, Nilgai, Sambhar, Kotari, Wildboar, Wild dog, Wild Cat, Peacock, Langur, Macaque Monkey, Chital, Bear with tropical moist mixed deciduous forest, tropical dry deciduous forest, mixed forest with and without Teak, dry evergreen forest, aquatic vegetation. The sanctuary also provides an extension of habitat to Indrawati Tiger Reserve.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Pamed Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 1 km all around the boundary of Pamed Wildlife Sanctuary in the State of Chhattisgarh as the Pamed Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco sensitive Zone lies between 18^0 26' 04" N to 18^0 11' 31" N Latitude and 80^0 43' 57" E to 81^0 03' 57" E Longitude and spread over an area of 62.73 square kilometers with an extent of 1 km around the boundary of Pamed Wildlife Sanctuary excluding portion on the Western side of the Sanctuary which shares boundary with the State of Telangana.

(2) The list of 7 villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-I**.

(3) The co-ordinates of Pamed Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-II**

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Chhattisgarh State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 17, 23, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Pamed Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of final notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Chhattisgarh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Chhattisgarh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-**

(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances including pesticides and insecticides.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
Regulated activities		
10.	Use of plastic carry bags, laminates and tetra packs.	Regulated under applicable laws. Disposal of plastic articles laminates and tetra packs shall be strictly regulated and monitored.
11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the protected area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3; (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any; (c) Construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.

13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables, transmission lines and telecommunication towers.	(i) The existing overhead electric cables shall be insulated within a specified period as per the Zonal Master Plan. In future, underground cabling shall be promoted.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area and disposal of solid waste.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods

		from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Chhattisgarh, which shall comprise of the following namely:—

a	Divisional Commissioner, Jagdalpur	—Chairman
b	Collector, District Bijapur	—Member
c	Deputy. Director, Indravati National Park, Bijapur	—Member
d	Chief Executive Officer, District Panchayat, Bijapur	—Member
e	Superintendent Engineer Public Works Department, Jagdalpur	—Member
f	Superintendent Engineer Public Health Engineering, Jagdalpur	—Member
g	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Chhattisgarh for a period of one year in each case.	—Member
h	Representative of Non-Governmental Organisation working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Chhattisgarh for a period of one year in each case.	—Member
i	Representative of the Town and Country Planning Department	—Member
j	Representative of Chhattisgarh Pollution Control Board	—Member
k	Chief Conservator of Forest (Wildlife) and Project Director, Indrawati National Park, Jagdalpur	—Member -Secretary

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in

the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned collector or the concerned Park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal

[F.No.25/152/2015-ESZ-RE]

Dr.T.CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF PAMED WILD LIFE SANCTUARY

Sl. No.	Sanctuary/NP Name	Village Name	Lat_DD	Long_DD	Lat_DMS	Long_DMS
1	Pamed WLS	Bhattiguda	18.3693	80.9572	18°22°9.516	80°57'25.8084
2	Pamed WLS	Kamalapur	18.3892	80.8632	18°23°21.1812	80°51'47.4516
3	Pamed WLS	Kottapalle	18.2079	80.7796	18°12'28.4904	80°46'46.668
4	Pamed WLS	Marudbaka	18.4019	80.8695	18°24'6.9984	80°52'10.254
5	Pamed WLS	Nambi	18.401	80.7763	18°24'3.6432	80°46'34.5504
6	Pamed WLS	Nelakaker	18.4082	80.8513	18°24'29.3472	80°51'4.8564
7	Pamed WLS	Rekhapalli	18.3727	80.907	18°22°21.7056	80°54'25.344

ANNEXURE-II

COORDINATES OF PAMED WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

SANCTUARY COORDINATES

Sl. No.	REFERENCE POINT NO.	Lat_DD	Long_DD	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	S1	18.3901	80.7893	18°23°24.2304	80°47'21.5772
2	S2	18.3803	80.861	18°22°49.0044	80°51'39.456
3	S3	18.3623	80.9026	18°21°44.1612	80°54'9.3924
4	S4	18.3464	80.9853	18°20'47.0688	80°59'7.098
5	S5	18.3009	81.0108	18°18°3.1752	81°0'38.9412
6	S6	18.2508	80.9056	18°15'2.8656	80°54'20.0196
7	S7	18.228	80.8657	18°13'40.7712	80°51'56.6316
8	S8	18.2402	80.791	18°14'24.7776	80°47'27.7512
9	S9	18.2901	80.7618	18°17'24.3852	80°45'42.588
10	S10	18.3505	80.739	18°21°1.7028	80°44'20.2488

ECO-SENSITIVE ZONE COORDINATES

Sl. No.	REFERENCE POINT NO.	Latitude	Longitude	Latitude (DMS)	Longitude(DMS)
1	E1	18.4108	80.7738	18°24'38.9844	80°46'25.7088
2	E2	18.4031	80.8827	18°24'10.9872	80°52'57.7596
3	E3	18.3706	80.9439	18°22°14.232	80°56'37.9176
4	E4	18.3485	81.0469	18°20'54.5316	81°2'48.8868
5	E5	18.2886	81.0734	18°17'19.1364	81°4'24.132
6	E6	18.2724	80.9751	18°16'20.6112	80°58'30.288
7	E7	18.2769	80.9227	18°16'36.8004	80°55'21.612
8	E8	18.2035	80.9047	18°12'12.4956	80°54'17.0604
9	E9	18.1948	80.8688	18°11'41.1468	80°52'7.6692
10	E10	18.2037	80.8259	18°12'13.2876	80°49'33.0636
11	E11	18.1932	80.7403	18°11'35.4084	80°44'25.1016

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PAMED WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES AND GPS COORDINATES

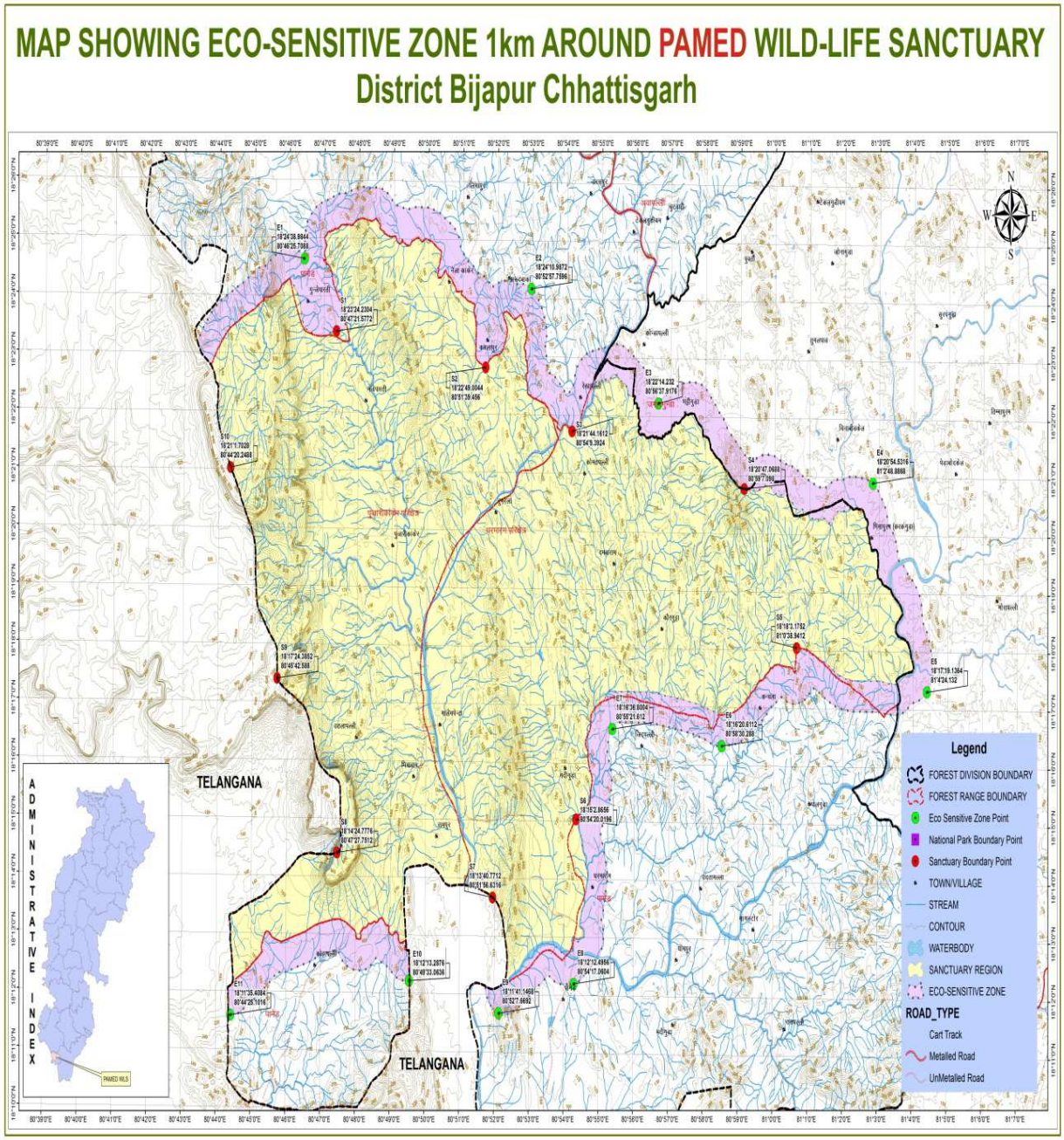

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings;
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure;
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan;
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   [Details may be attached as Annexure]

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006;

   [Details may be attached as separate Annexure]

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006;

   [Details may be attached as separate Annexure]

7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;

8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.